प्रकरण संख्या 36/2016 रूपजी बनाम धनिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2018	वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा वकील अपीलान्ट की सुनी गयी बहस एवं रेकार्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रकरण में दिनांक 29.06.2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री का आदेश पारित किया गया, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा उसके द्वारा अपील में की गयी प्लीडिंग के अनुसार उसके द्वारा काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया जाना था तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट के वाद के सन्दर्भ में स्वत्व बाबत् भी विवेचन किया जाना था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 31.10.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 36/2016 रूपजी बनाम धनिया